

9/11/25
2025/519

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / गेट / 2025 / 3779

दिनांक 16/11/2025

कनवानी प्रकरण - श्यामप्रीती सिंह बनाम मुमिधारी तहसीलदार
प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलओ आरओ एक्ट, 1956
मुक्रमांक संख्या - 199/2025

-: दुरुरती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपरोक्त विषयान्वयित तथ्य है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर न जरिये पत्रांक 15 / मूअ / 2025 दिनांक 24/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम मुण्डक पटवारी हल्का मुण्डक तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर के भूमि खाना संख्या 342 में खातेदार श्यामप्रीती पति श्रीश्याम के स्थान पर श्यामप्रीती उर्फ प्रभातीदेवी पति श्रीश्याम नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का मुण्डक उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड न दुरुरती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

क्रमांक / गेट / 2025 / 3780-21

दिनांक 16/10/2025

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनाार्थ एवं पालनार्थ -

- 1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनाार्थ।
- 2. पटवारी हल्का मुण्डक तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

